न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 2412 / 2004 / नागौर

खेताराम पुत्र प्रभूराम (फौत) के कायम मुकाम :–

1. बोदूराम पुत्र खेताराम
2. पुनाराम पुत्र खेताराम
3. पेमा पुत्री खेताराम
4. गुलाब पुत्री खेताराम
   समस्त जाति राईका निवासी गॉव सोमणा तहसील जायल जिला नागौर

.....अपीलार्थी

बनाम

भीखाराम पुत्र भोलूराम(फौत) के कायम मुकाम :–

1. मु0 घेवरी बैवा भीखाराम
2. भवराराम पुत्र भीखाराम
3. हीरालाल पुत्र भीखाराम
4. सवाई राम पुत्र भीखाराम
5. मु0 गज्जू पुत्री भीखाराम
6. मु0 आपु पुत्री भीखाराम
7. मु0 सायू पुत्री भीखाराम
   समस्त जाति राईका निवासी गांव सोमणा तहसील जायल जिला नागौर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री गोरव दवे, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण के ब्रीफ होल्डर

दिनांक 30.12.2025

निर्णय

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15—4—04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलांट्स ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् बेदखली न्यायालय सहायक कलेक्टर जायल के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी वादी की खातेदारी का खेत ग्राम सोमणा की सरहद में खसरा नंबर 664 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा है, जिसके पश्चिम में रेस्पोडेंट भीखाराम का खेत है। रेस्पोडेंट ने संवत् 2054 के जेठ माह में काश्त करनी शुरू की तब अपीलार्थी के खेत खसरा नंबर 664 में लगभग 2 बीघा अर्थात 2 गट्ठे भूमि पर जबरन कब्जा कर अपनी पूर्वी माठ तोडकर काश्त कर ली। अपीलार्थी के मना करने पर रेस्पोडेंट ने अपनी गलती स्वीकार की तथा अपीलार्थी ने अपने खेत का माप तहसीलदार जायल से करवाया जिसमें 2 गट्ठा भूमि पर रेस्पोडेंट प्रतिवादी का नाजायज कब्जा पाया। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादीगण का वाद साबित होने की स्थिति में निर्णय दिनांक 4—2—03 द्वारा स्वीकार कर डिक्री कर दिया।

3— परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 15—4—04 द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। राजस्व अपील अधिकारी जी ने तनकी नंबर 2, 3 व 4 का निर्णय तनकी नं.1 के आधार पर रेस्पोडेन्ट के

पक्ष में व अपीलांट के विरूद्ध तय करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट ने तनकी सं.1 को साबित करने के लिये अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्ण रूपसे साबित कर दिया था कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट की भूमि खेत खसरा नंबर 664 पर नाजायज कब्जा कर अपने खेत खसरा नंबर 663 में मिला लिया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने केवल मात्र कयास लगाकर यह मान लिया कि अपीलांट की भूमि किसी अन्य पडोसी ने दबा ली है। राजस्व अपील अधिकारी ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि तनकी नं.1 को सिद्ध करने के लिए अपीलांट ने विचारण न्यायालय में एक्जीविट पी.1 मौका रिपोर्ट दिनाक 21–6–97 एवं जमाबन्दी संवत 2052–55 एक्जीबिट पी–2 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2052 से 55 एक्जीबिट पी. 3 पेश किया था, जिससे पूर्णतया सिद्ध था कि खसरा नं. 664 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा का रेकॉर्डड खातेदार काश्तकार अपीलांट था एवं एक्जीविट पी. 1 से पूर्णतया सिद्ध था कि अपीलांट की खातेदारी भूमि पर खसरा नंबर 663 के मालिक रेस्पोडेन्ट भीखाराम ने कब्जा कर रखा है फिर भी विद्वान राजस्व अपील अधिकारी जी ने बिना मौका रिपोर्ट को सही तरीके से पढे कयास के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। राजस्व अपील अधिकारी ने यह मानने में भूल की है कि प्रशासनिक आदेश पर नाप चौक करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट को कोई इत्तला देने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य रेकोर्ड पर उपलब्ध नहीं है। जबकि सीमा ज्ञान कराते समय आर. आई. ने गाँव भांबी के द्वारा रेस्पोडेन्ट को इत्तला की थी जिसका की नोट ई.एक्स. पी. 1 पर लगा हुआ है। यदि उक्त ई.एक्स.पी. 1 से रेस्पोडेन्ट को कोई असहमति थी तो वह विचारण न्यायालय में अपनी आपत्ति पेश कर सकता था जबकि रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय में कोई आपत्ति पेश नहीं की इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि रेस्पोडेन्ट को उक्त मौका रिपोर्ट से कोई असहमति नहीं थी फिर भी राजस्व अपील अधिकारी ने उक्त मौका रिपोर्ट को बिना किसी शहादत के और बिना कोई आपत्ति के नहीं मान कर के निर्णय व डिक्री पारित की है। यह निर्विवाद तथ्य है कि खसरा नं. 663 व 664 की भूमि सींव जोड भूमि है जिसमें की रेस्पोडेन्ट ने खसरा नंबर 664 की 2 गट्ठा भूमि ख. न. 663 में मिला ली है जिसका निस्तारण सीमा ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता था फिर भी राजस्व अपील अधिकारी को उक्त रिपोर्ट से असहमति थी तो वह दुबारा दोनो पक्षो की मौजूदगी में सीमा ज्ञान की रिपोर्ट मंगा सकते थे एवं मुकदमे का निस्तारण कर सकते थे। जबकि राजस्व अपील अधिकारी ने इसके विपरीत जाकर संपूर्ण डिक्री को ही निरस्त कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है। राजस्व अपील अधिकारी ने यह मानने में कानूनी भूल की है कि मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता। जबकि यह मौका रिपोर्ट न होकर दो खेतों का सीमा ज्ञान का आदेश है एवं सीमा ज्ञान के द्वारा ही यह तय किया जा सकता है कि रेस्पोडेन्ट ने क्या अपीलांट की भूमि पर अतिक्रमण किया है विद्वान राजस्व अपील

अधिकारी जी ने बिना सीमा ज्ञान कराये ही अपीलांट की अपील स्वीकार की है वह न्यायिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय में न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया था और न ही ई. एक्स. पी.1 के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत की थी। अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर सभी तनकियों पर विस्तृत विवेचन करते हुये वाद डिक्री किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादी अपीलार्थी यह बताने में असमर्थ रहा है कि उसकी आराजी के कौनसे हिस्से पर किस दिशा की तरफ से रेस्पोडेंट ने अतिक्रमण किया है। वादी अपीलार्थी ने स्वयं यह तथ्य स्वीकार किया है कि उसके खेत की लम्बाई चौडाई का उसे ज्ञान नहीं है। उसने पास पडौस के खेतों का भी नापचौक नहीं करवया। वादी के लडके ने भी बयान में अतिक्रमण वाली भूमि का कोई नाप चौक नहीं बताया। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की आराजी पर रेस्पोडेंट का अतिक्रमण नहीं पाते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री को निरस्त किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये तनकीवार निष्कर्ष अंकित करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी अपीलांट्स ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् बेदखली न्यायालय सहायक कलेक्टर जायल के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में पेश कर अपीलार्थी वादी की

खातेदारी के खेत ग्राम सोमणा की सरहद में खसरा नंबर 664 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में लगभग 2 बीघा अर्थात 2 गट्ठे भूमि पर रेस्पोडेंट द्वारा जबरन कब्जा कर अपनी पूर्वी माठ तोडकर काश्त करने से उसे बेदखल कर पुनः कब्जा दिलवाने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादीगण का वाद साबित होने की स्थिति में निर्णय दिनांक 4–2–03 द्वारा स्वीकार कर डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 15–4–04 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है। अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर तनकी सं. 1 का निस्तारण प्रतिवादी रेस्पोडेंट के पक्ष में करते हुये अपीलार्थी की आराजी पर रेस्पोडेंट प्रतिवादी का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं माना है। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 21–6–97 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर खेताराम पत्रु प्रभूराम राईका का खेत खसरा नंबर 664 की उत्तरी माठ का नाप पूर्व से पश्चिम तक 54 गट्ठे के बजाय 53 गट्ठा आया अर्थात एक गट्ठा कम आना अंकित है तथा एक गट्ठा पर खसरा नंबर 663 भीकाराम पुत्र भोलूराम राईका द्वारा नई तइयों की पाल्ट निकाल कर कब्जा करना बताया। इसी तरह दक्षिणी माठ खसरा नंबर 664 पूर्व से पश्चिम तक 55 गट्ठा नक्शें में होना परंतु मौके पर कब्जा 53 गट्ठे पर होने का अंकन है। खसरा नंबर 663 का कब्जा 2 गट्ठों पर तइयों की पाल्ट निकालकर नया कब्जा साबित होना अंकित किया है। इसी तरह खसरा नंबर 664 की पश्चिम की माठ उत्तर से दक्षिण नक्शें में 90 गट्ठा होना तथा मौके पर 89 गट्ठा होने का अंकन है। खसरा नंबर 664 की पूर्व की माठ उत्तर से दक्षिण का नाप 94 गट्ठा होना मौके अनुसार सही बताया गया। खसरा नंबर 663 की पश्चिम की माठ नक्शें में 93 गट्ठा है तथा मौके पर 96 गट्ठा आई जो सही होना अंकित है। इस तरह भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 663 भीकाराम का कब्जा खसरा नंबर 664 खेताराम के उत्तर की माठ पूर्व से पश्चिम तक एक गट्ठे पर एवं दक्षिण की माठ पूर्व से पश्चिम तक 2 गट्ठों पर तइयां निकालकर कब्जा किया होना साबित माना है। उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार की गई है जिसे सभी ने स्वीकार कर हस्ताक्षर अंकित किये है। ऐसी स्थिति में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर ही तनकी सं.1 का निस्तारण विधिसम्मत् रूप से किया है। जबकि अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत तनकी सं.1 का

निस्तारण रेस्पोडेंट के पक्ष में त्रुटिपूर्ण किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के खेत खसरा नंबर 664 में लगभग 2 बीघा अर्थात 2 गट्ठे भूमि पर रेस्पोडेंट प्रतिवादी का अनाधिकृत कब्जा मानते हुये अपीलार्थी का वाद डिक्री किया है, जो विधिसम्मत् है। खंडपीठ के विनम् मत में वादी का वाद सिद्ध होने की स्थिति में ही परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ तनकीवार निर्णय करते हुये डिक्री किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को सही आलोक में नहीं देखकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय पत्रावली में उपलब्ध समग्र सामग्री के विपरीत जाकर निरस्त किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–4–04 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर/उपखंड अधिकारी जायल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–2–03 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष